फा. सं. 29-6/2019-डीडी-III
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
***

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 10 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं की गई विशिष्ट दिव्यांगताओं अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाले जिनके लिए सरकारी पदों में आरक्षण का लाभ अनुमत है) के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु दिनांक 29.08.2018 और दिनांक 08.02.2019 के शुद्धिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्क्राइब और प्रतिपूरक समय प्रदान करने का प्रावधान है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री विकाश कुमार बनाम यूपीएससी और अन्य के मामले में दिनांक 11.02.2021 के अपने निर्णय में इस विभाग को उचित दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु निदेश दिए जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2(ध) में निहित अर्थ के अधीन दिव्यांगजनों को जहां दिव्यांगता की प्रकृति परीक्षा में लिखते समय अभ्यर्थी के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है , स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान को विनियमित करेगा और इसे सुविधाजनक बनाएगा । इन दिशा-निर्देशों में जैसा कि निर्धारित किया गया हो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति को उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त मानकों को भी निर्धारित किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस सुविधा की आवश्यकता रखने वाले केवल प्रामाणिक अभ्यर्थी इस लाभ को प्राप्त कर सके।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने तथा तदनुसार दिशा-निर्देश के संबंध में सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। इस समिति ने यह नोट किया कि विभिन्न प्रकार की क्लीनिकल समस्याएं हैं जो लिखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस समिति ने यह सिफारिश की कि स्क्राइब

और प्रतिपूरक समय प्रदान करने के लिए एकमात्र मानदंड व्यक्ति के लिखने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए।

3. तदनुसार समिति ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं की गई विशिष्ट दिव्यांगताओं अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है-

(क) इन दिशानिर्देश को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए विशिष्ट दिव्यांगताओं अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश कहा जाए।

(ख) स्क्राइब और/अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन्हीं को दी जाए जिन्हें लिखने में कठिनाई है बशर्ते कि **परिशिष्ट -I** प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उसकी लिखने की क्षमता सीमित है और लिखित परीक्षा में उनके लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लेख किए गए अनुसार प्रमाणन के उद्देश्य के लिए चिकित्सा प्राधिकरण निम्नलिखित को शामिल करते हुए बहु-सदस्य प्राधिकरण होना चाहिए:-

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष
ii. ऑथोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ
iii. न्यूरोलॉजिस्ट, यदि उपलब्ध हो*
iv. क्लीनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक
v. ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यदि उपलब्ध हो।*
vi. अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर अन्य कोई विशेषज्ञ जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो।

(* मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी नजदीकी जिला या चिकित्सा कॉलेज/संस्थान, यदि जिले में यह उपलब्ध नहीं हैं, से न्यूरोलॉजिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को शामिल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।)

(घ) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के स्क्राइब का चयन करने अथवा उसके लिए परीक्षा निकाय को अनुरोध करने का अधिकार होना चाहिए। परीक्षा निकाय परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला/मंडल/राज्य स्तर

पर पैनल बनाने के लिए स्क्राइब की पहचान भी कर सकते हैं। बाद में, अभ्यार्थियों को परीक्षा के दो दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थी यह जांच और सत्यापित कर सकें कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं।

(ड.) यदि परीक्षा निकाय स्क्राइब उपलब्ध कराता है तो यह सुनिश्चित किया जाए की स्क्राइब की अर्हता परीक्षा के न्यूनतम अर्हता मानदंड से अधिक नहीं है। हालांकि, स्क्राइब की अर्हता हमेशा दसवीं अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

यदि अभ्यर्थी को अपने स्वयं के स्क्राइब को लाने की अनुमति दी जाती है तो स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की अर्हता से एक स्टेप नीचे होनी चाहिए। अपने स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट -II के प्रपत्र के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण जमा करना चाहिए।

(च) आपातकालीन मामले में स्क्राइब में किसी भी प्रकार के बदलाव किए जाने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को अलग-अलग परीक्षा लिखने में विशेष रूप से भाषाओं के लिए अलग-अलग स्क्राइब ले जाने की भी अनुमति होनी चाहिए। हालांकि, एक विषय के लिए केवल एक स्क्राइब ही हो सकता है।

(छ) अभ्यर्थी को परिशिष्ट -I के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के पैरा 2 में उल्लेख किए गए अनुसार प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स हियरिंग एड जैसे सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का प्रयोग करने हेतु अनुमति दी जानी चाहिए।

(ज) स्क्राइब ले जाने की पात्रता वाले व्यक्तियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय दिया जाना चाहिए। यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम की हो, तो यथानुपात आधार पर प्रतिपूरक समय की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिपूरक समय 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 के गुणक में होना चाहिए।

(झ) परीक्षा निकाय इस श्रेणी के व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अपने आवेदन प्रपत्रों को संशोधित करेंगे। यदि फॉर्म भरने के बाद किसी घटना की सूचना मिलती है, तो परीक्षा निकाय उम्मीदवारों को स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सूचित करेंगे।

(ञ) जहां तक संभव हो ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा भूतल पर आयोजित की जाए । परीक्षा केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य होना चाहिए।

(ट) ये दिशानिर्देश केंद्रीय भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं पर भी लागू होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या समान दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।

(ठ) ये दिशानिर्देश दिनांक 29.08.2018 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों से अलग हैं।

(ड.) जांच करने वाले निकाय स्क्राइब की सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर सतर्कता सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी भर्ती एजेंसियों, शिक्षाविदों/परीक्षा निकायों आदि को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से सलाह दी जाए।

5. उपरोक्त दिशा-निर्देश माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

ह.

(मृत्युंजय झा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नंबर. 24369045

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सचिव, यूपीएससी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एसएससी, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस अनुरोध के साथ कि डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों को अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान।

प्रतिसूचनार्थ प्रेषित: सीसीपीडी, 5वीं मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी..... के पुत्र/पुत्री, आयु ..... वर्ष, (श्री / सुश्री / श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम) जो .....(दिव्यांगता की प्रकृति / स्थिति) से ग्रस्त है , की जांच की है.....,..... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाए हैं जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ तक मान्य है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट -II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं _____ (दिव्यांगता की प्रकृति / स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो _____ (राज्य का नाम) के _____ (जिले) में _____ (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से _____ (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि _____ (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता _____ है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं पद या प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक: